मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 427-430
भोपाल, दिनांक 6/8/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/708/2016

आवेदकः–
मेसर्स एस. के. आयरन वर्क्स,
85–ए, इण्डस्ट्रीयल स्टेट,
पोलोग्राउण्ड,
इन्दौर –462 001 (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदकगणः–
1– मेसर्स भगवान मोटर्स प्रा. लि.,
101–एफ, सेक्टर–1,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर,
जिला धार – 481 001
2– मेसर्स भगवान मोटर्स प्रा. लि.,
श्री दिलीप मिस्त्री, डायरेक्टर,
101–एफ, सेक्टर–1,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर,
जिला धार – 481 001
3– मेसर्स भगवान मोटर्स प्रा. लि.,
श्री संकेत मिस्त्री, पिता श्री दिलीप मिस्त्री,
डायरेक्टर,
101–एफ, सेक्टर–1,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर,
जिला धार – 481 001

अन्तिम सुनवाई दिनांक 14.07.2020
माध्यस्थम आदेश दिनांक 28.07.2020
06-08-2020

आवेदक ने दिनांक 08.07.2016 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 4,30,407/– एवं दिनांक 09.06.2016 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 2,42,047/– कुल बकाया राशि रू. 6,81,454/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

अनावेदक द्वारा आवेदक को आयरन पाईप्स भेजने हेतु समय–समय पर मौखिक आदेश दिये गयेा। आवेदक द्वारा मौखिक आदेशानुसार अनावेदक को आयरन पाईप्स का प्रदाय निम्नानुसार इन्वाईसेस के माध्यम से किया गया हैः–

.....2

क्र.	इन्वाईस न0 एवं दिनांक	सामग्री की मात्रा (मे. टन)	इन्वाईसेस का कुल मूल्य
01	38, 01.10.2013	2.237	133338.00
02	74, 11.12.2014	1.599	95,713.00
03	76, 17.12.2014	0.489	29,279.00
04	77, 22.12.2014	0.359	21,518.00
05	81, 23.12.2014	1.128	67.510.00
06	83, 29.12.2014	1.315	78,703.00
07	87, 11.01.2015	1.157	69,294.00
08	89, 17.01.2014	0.446	26,724.00
		कुल राशि रू.	5,21,345

(आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक–2 में वर्णित बिल क्रमांक 38, की राशि रू. 1,33,338/– दशाई गई है, जबकि देयक में राशि रू. 1,33,937/– है। आवेदक द्वारा उपरोक्त वर्णित देयको की कुल राशि का योग रू. 5,21,345/– उल्लेखित किया है जबकि वास्तविक योग रू0 5,22,076/– होता है।)

अनावेदक द्वारा स्वयं सामग्री प्राप्त कर, स्वयं के साधनों से ले जाई गई है और समय–समय पर सामग्री की किमत अदायगी की गई है। बिलों की राशि पर टैक्स एवं एक्साईज ड्यूटी प्राप्त की गई है, जिसके दस्तावेज अनावेदक के आधिपत्य में है।

आवेदक ने लेख किया कि आवेदक एवं अनावेदक के मध्य परस्पर कोई लिखित समझौता नही हुआ है। बिल में छपी शर्तो के अनुसार आवेदक एवं अनावेदक के मध्य संव्यवहार हआ है।

अनावेदक द्वारा प्रदायित सामग्री के बारे में कभी कोई भी आपत्ति दर्ज नही कराई गई। आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रदायित सामग्री के विरूद्ध प्राप्त एवं अप्राप्त भुगतान निम्नानुसार उल्लेखित किया है :–

क्र.	इन्वाईस न0 एवं दिनांक	इन्वाईस की राशि	भुगतान दिनांक	प्राप्त भुगतान	अप्राप्त/बकाया राशि
01	38, 01.10.2013	133338.00	24.05.14 26.03.15	80,604.00 1,034.00	51,700.00
02	74, 11.12.2014	95,713.00	–	–	95,713.00
03	76, 17.12.2014	29,279.00	–	–	29,279.00
04	77, 22.12.2014	21,515.00	–	–	21,515.00
05	81, 23.12.2014	67.510.00	–	–	67.510.00
06	83, 29.12.2014	78,703.00	–	–	78,703.00
07	87, 11.01.2015	69,294.00	–	–	69,294.00
08	89, 17.01.2014	26,724.00	–	–	26,724.00
		5,21,345	–	–	4,39,407.00

(आवेदक द्वारा उपरोक्त वर्णित देयको की कुल राशि का योग रू. 4,39,407/– उल्लेखित किया है जबकि वास्तविक योग रू0 4,40,438/– होता है।)

.....3

आवेदक द्वारा बकाया राशि की अदायगी हेतु दिनांक 25.03.2015 को ई-मेल मेसेज एवं स्टेटमेंट ऑफ अकॉउन्ट की प्रति अनावेदकगणों को भेजी गई, तत्पश्चात दिनांक 19.11.2015 को मार्फत अभिभाषक, लीगल नोटिस दिनांक 19.11.2015 को भेजा गया, किन्तु भुगतान नही किया गया।

आवेदक द्वारा मुलधन राशि रू. 4,39,407/- एवं इस राशि पर अपाईन्टेड डे दिनांक से दिनांक 09.06.2016 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 2,42,047/- कुल राशि रू. 6,81,454/- का दावा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 614-617 दिनांक 29.07.2016, अनावेदकगणों को उनके 3 पतों पर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया गया। अनावेदकगणों को मय दावा आवेदन पत्र के प्रेषित नोटिस काउन्सिल को वापिस प्राप्त नही हुए है, अतः अनावेदकगणों को नोटिस की तामिली मानी गई, किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 16.02.2017, 27.05.2017, 28.04.2018, 24.07.2019, एवं दिनांक 14.07.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र/ई-मेल जारी किये गये।

सुनवाई दिनांक 27.05.2017 में काउन्सिल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नियत सुनवाई दिनांक 28.04.2018 में अनावेदकगणों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 16, अप्रेल 2018 को दैनिक समाचार पत्र "प्रभात किरण" में जाहिर सूचना का प्रकाशन कराया गया।

अनावेदक को सुनवाई 16.02.2017 एवं 28.04.2018, के सूचना पत्र क्रमश दिनांक 11.07.2017 एवं 16.04.2018 को डिलीवर्ड होने की पुष्टि अभिलेख में उपलब्ध स्पीड पोस्ट की ट्रेकिंग रिपोर्ट से होती है।

अनावेदक से पत्र दिनांक 19.07.2019, प्राप्त हुआ, जिसके अनतर्गत नेशनल कंपनी लॉ न्यायाधिकरण, अहमदाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2019 की प्रति संलग्न भेजकर लेख किया कि अब एनसीएलटी द्वारा देय भुगतान की रिकवरी प्रोसेडिंग्स पर रोक लगा दी गई है।

अनावेदक के उक्त पत्र की प्रति पत्र दिनांक 01.08.2019 से आवेदक को भेजी गई। तत्संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

सुनवाई दिनांक 14.07.2020 को आवेदक उपस्थित हुए। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित।

अनावेदक द्वारा दिनांक 19.07.2019 को काउन्सिल को सूचना दी गई कि उनकी कंपनी दिवालिया घोषित हा गई है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में बैंकरप्सी की कार्यवाही चल रही है।

प्रकरण गुण-दोष के आधार पर आदेश हेतु नियत किया गया।

प्रकरण में आवेदक द्वारा दावा की गई मुलधन राशि रू. 4,39,407/- एवं इस राशि पर अपाईन्टेड डे दिनांक से दिनांक 09.06.2016 तक संगणित ब्याज की राशि रू. 2,42,047/- का

.....4

दावा आवेदन पत्र अनावेदक को प्रेषित किया गया किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक के दावे का प्रतिकार उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अनावेदक को सुनवाई दिनांकों के सूचना पत्र प्रेषित कर सुलह करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये, परन्तु सुनवाई के सूचना-पत्र प्राप्त होने के पश्चात भी काउन्सिल के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं संलग्नक अभिलेखों का परीक्षण एव अवलोकन किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर द्वारा जारी अभिस्वीकृति क्रमांक DM/IND/2009/3133, दिनांक 26.03.2009 के अनुसार, आवेदक की इकाई Entrepreneurs Memorenddum Number 23 026 11 01470 दिनांक 25.03.2009 को पंजीकृत होकर, आवेदक की इकाई सूक्ष्म उद्यम है। आवेदक द्वारा CONDUIT PIPE & M.S. PIPE निर्माण का कार्य किया जाता है।

आवेदक एवं अनावेदक के मध्य विवाद का विषय, आवेदक के सूक्ष्म उद्यम में पंजीकृत होने के दिनांक 25.03.2009 के पश्चात का है। अतः आवेदक इस काउन्सिल में दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता रखता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा, अनावेदक के संज्ञान में होते हुए भी, अनावेदक द्वारा आवेदक के दावे का खंडन/प्रतिकार उत्तर प्रस्तुत नही किया है। अतः आवेदक द्वारा संधारित अनावेदक के लेज़र अवधि 01.04.2014-31.03.2015 में बकाया राशि रू. 4,39,407/- है एवं प्रस्तुत आडिटेड बैलेंस शीट वर्ष 2014-15 में भी SUNDRY DEBTORS की सूची में, BHAGWAN MOTORS PVT LTD के सामने राशि रू. 4,39,407/- दर्शित है, जिससे यह राशि अनावेदक पर बकाया होने की पुष्टि होती है। अतः आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत दावा स्थापित होता है।

अतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार सामग्री प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 45 दिवस की समयावधि अनावेदक द्वारा आवेदक को भुगतान किया जाना था। अनावेदक द्वारा आवेदक से अविवादित सामग्री प्राप्त करने के उपरांत नियत समयावधि में आवेदक को भुगतान नहीं किया गया है। अतः आवेदक, अनावेदक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित भुगतान पाने का अधिकारी है।

सुनवाई दिनांक 14.07.2020 के सन्दर्भ में आवेदक द्वारा ई-मेल दिनांक 21.07.2020 को अनावेदक पर बकाया संदाय राशि रू. 4,39,407/- पर, दिनांक 14.07.2020 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 8,67,655/- का ब्याज गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम-09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक 1-मेसर्स भगवान मोटर्स प्रा. लि., 2- मेसर्स भगवान मोटर्स प्रा. लि., श्री दिलीप मिस्त्री, डायरेक्टर, 3-मेसर्स भगवान मोटर्स प्रा. लि., श्री संकेत मिस्त्री, पिता श्री दिलीप मिस्त्री, डायरेक्टर, 101-एफ, सेक्टर-1, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला धार-481001 द्वारा, बकाया संदाय राशि रू. 4,39,407/- (रूपये चार लाख उनचालिस हजार चार सौ सात मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 14.07.2020 तक

.........5

की संगणित ब्याज राशि रू. 8,67,655/– (रूपये आठ लाख सड़सठ हजार छ सौ पचपन मात्र) कुल राशि रू. 13,07,062/– (रूपये तेरह लाख सात हजार बासठ मात्र) एवं इस राशि पर दिनांक 15.07.2020 से भुगतान दिनांक तक, के ब्याज का भुगतान आवेदक मेसर्स एस. के. आयरन वर्क्स, 85–ए, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर–462 001 (म.प्र.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार, भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्ष्म प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(अनन्या विश्वास)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल, एवं
सहायक ~~प्रबंधक,~~ निदेशक
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।